

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2255

जिसका उत्तर सोमवार, 9 दिसंबर, 2024/18 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया

ऋण माफी के संबंध में किसानों के साथ भेदभाव

2255. श्री अरविंद गणपत सावंत:

श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को किसानों की ऋण संबंधी दयनीय स्थिति की जानकारी है;
- (ख) यदि हां, तो ऋण माफी के संबंध में सरकार की वर्तमान योजना क्या है और विगत दस वर्षों में कितने उद्योगपतियों एवं किसानों के ऋण माफ किए गए हैं और कितनी-कितनी राशि का ऋण माफ किया गया है;
- (ग) क्या सरकार ऋण माफी के संबंध में किसानों के साथ भेदभाव कर रही है;
- (घ) यदि नहीं, तो एक ओर तो बड़े उद्योगपतियों के ऋण माफ किए जा रहे हैं और दूसरी ओर किसानों के ऋण माफ न किए जाने के क्या कारण हैं; और
- (ङ) क्या सरकार किसानों को ऋण राहत के लिए तत्काल कोई सहायता प्रदान करने पर विचार कर रही है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क)से (ङ): पिछले पांच वर्ष में दिए गए कृषि ऋण का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कुल बकाया कृषि ऋण (करोड़ में)	20587 30	22774 28	25134 99	28881 73	33526 46
खारतों की संख्या (लाख में)	1494	1532	1612	1741	1875

प्रति खाता बकाया ऋण (रुपये में)	13782 1	14866 1	15594 8	16588 6	17883 5
---------------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

स्रोत आरबीआई और नाबार्ड

संस्थागत स्रोतों के माध्यम से ऋण का विकल्प चुनने वाले किसानों के खातों की संख्या दिनांक 31.03.2020 से दिनांक 31.03.2024 तक बढ़कर 381 लाख हो गई है।

इसके अलावा, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय बैंकों के कृषि ऋणों में एनपीए पिछले पांच वर्ष (अर्थात वित्त वर्ष 2019-2020 से वित्त वर्ष 2023-2024 तक) के दौरान कम हो गया है, जो निम्नानुसार है:-

अवधि	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	सहकारी बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
2019-20	10.1%	7.99%	8.72%
2023-24	6.2%	5.32%	6.65%

स्रोत: आरबीआई और नाबार्ड

इस अवधि के दौरान एनपीए में कमी किसानों की चुकौती क्षमता में सुधार का संकेत देती है।

केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान, पीएमएफबीवाई आदि, के उत्पादन को बढ़ाकर किसानों को लाभकारी रिटर्न और आय सहायता देकर किसानों के कल्याण में वृद्धि के लिए तैयार किया गया है। देश के किसानों के ऋणों को माफ करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
